अनुदान संख्या 77 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 77 - MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	19833,20,00				
				20236,71,00	14556,50,94	-5680,20,06
पूरक	Supplementary	403,51,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5679,70,97
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			2048,08,00	383,98,00	-1664,10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1664,10,00

टीका और टिप्पणियां

1 अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹568020.06 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹40351.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹568020.06 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹40351.00 lakhs obtained in February, 2021 and constituted 28 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5157.00			
			4301.23	4295.14	-6.09
पु.	R.	-855.77			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	197750.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-197751.00			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	1780413.00			
पू.	S.	40350.00			
पु.	R.	-369364.20	1451398.80	1451355.80	-43.00

(I) ₹197754.10 लाख का प्रावधान (₹1.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹197751.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹197754.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.10 lakhs) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹197751.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "ग्रामीण विद्युतीकरण – अन्य व्यय – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹26750.00 लाख;

(A) "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification and Feeder Separation" - ₹26750.00 lakhs;

(खा) "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन" –

(B) "Transmission and Distribution - Direction and Administration" -

(क) "विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹157001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(a) "Strengthening of Power Systems" - ₹157001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(ख) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹14000.00 लाख।

(b) "Power Finance Corporation for Integrated Power Development Scheme" - ₹14000.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षो को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2801" – "सामान्य – विद्युत अधिनियम 2003 का संचालन – सांविधिक प्राधिकरण" – ₹20051.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹15349.80 लाख का पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹35400.80 लाख कर दिया गया। तथापि, स्कीम के अंतिम रूप न दिए जाने और स्थायी वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ₹22824.23 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) Under Major Head "2801"- "General - Administration of Electricity Act 2003 - Statutory Authorities" - the original provision of ₹20051.00 lakhs was augmented to ₹35400.80 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹15349.80 lakhs. However, there was a saving of ₹22824.23 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of the scheme and non-approval of Standing Finance Committee/Public Investment Board.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – विद्युत मंत्रालय" – ₹861.86 लाख की बचत (₹5157.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Power" - saving of ₹861.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5157.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2801" - savings occurred under the following heads:-

(का) "जल विद्युत – अन्य व्यय – पकल डूल परियोजना – जेकेएसपीडीसीएल" – ₹16992.00 लाख की बचत (₹37365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Hydel Generation - Other Expenditure-Pakal Dul Project-JKSPDCL" - saving of ₹16992.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37365.00 lakhs);

(खा) "पारेषण और वितरण" –

(B) "Transmission and Distribution"-

(क) "एकीकृत वित्त विकास स्कीम"

(a) "Integrated Power Development Scheme" -

(i) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹1951.20 लाख की बचत (₹266000.00 लाख के स्वीकृत

(i) "Power Finance Corporation for - Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹1951.20 lakhs

प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "पीएमडीपी 2015 जे एंड के पैकेज (केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से)" – ₹2773.64 लाख की बचत (₹45000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" – ₹30000.32 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" – ₹25000.50 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – सीआर एंड आईएफ से पूरी की गई आईपीडीएस स्कीम को अंतरण" – ₹87700.00 लाख की बचत (₹440000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "अन्य व्यय – विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹2392.86 लाख की बचत (₹24000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "ग्रामीण विद्युतीकरण" –

(क) "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹174382.72 लाख की बचत (₹539582.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹34400.00 लाख की बचत (₹74700.00 लाख के

(against the sanctioned provision of ₹266000.00 lakhs);

(ii) "PMDP 2015 J&K Package (Through Central Agency)" - saving of ₹2773.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45000.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹30000.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75000.00 lakhs);

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹25000.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs);

(d) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to IPDS Scheme met from CR&IF" - saving of ₹87700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹440000.00 lakhs);

(e) "Other Expenditure - Strengthening of Power Systems" - saving of ₹2392.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24000.00 lakhs);

(C) "Rural Electrification" -

(a) "Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana - Rural Electrification and Feeder Separation" - saving of ₹174382.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹539582.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Rural Electrification and Feeder Separation" - saving of ₹34400.00 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹16000.00 लाख की बचत (₹38700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "सामान्य" –

(क) "प्रशिक्षण – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹6389.32 लाख की बचत (₹8234.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अनुसंधान और विकास – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹12000.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रशासन – संरक्षण और ऊर्जा दक्षता" – ₹15234.08 लाख की बचत (₹21336.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "अन्य व्यय" –

(i) "लोहारी नागपाला" – ₹4367.80 लाख की बचत (₹10440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "कोरियाई पश्चिमी विद्युत कम्पनी लिमिटेड द्वारा विवाद का निवारण और परामर्श" – ₹2381.68 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(against the sanctioned provision of ₹74700.00 lakhs);

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Rural Electrification and Feeder Separation"- saving of ₹16000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38700.00 lakhs);

(D) "General" -

(a) "Training - Research and Training" - saving of ₹6389.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8234.00 lakhs);

(b) "Research and Development - Research and Training" - saving of ₹12000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs);

(c) "Administration of Energy Conservation Act 2001- Conservation and Energy Efficiency" - saving of ₹15234.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21336.00 lakhs);

(d) "Other Expenditure" -

(i) "Lohari Nagpala" - saving of ₹4367.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10440.00 lakhs); and

(ii) "Redressal of dispute and consultation by Korean Western Power Company Ltd." - saving of ₹2381.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs).

Savings under the above fifteen heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹318.27 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

(V) Under one head saving of ₹318.27 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹58100.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2801" – "परिषण और वितरण–निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹58100.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Direction and Administration" - under the following heads:-

(का) "अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सदृढ़ीकरण" – ₹30000.00 लाख।

(A) "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim" - ₹30000.00 lakhs.

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना" – ₹8100.00 लाख;

(B) "Power System Improvement Project for NER" - ₹8100.00 lakhs.

(गा) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक अनुदान" – ₹20000.00 लाख।

(C) "World Bank Grant for Power System Improvement Project for NER" - ₹20000.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2801" - under the following heads:-

(का) "तापविद्युत उत्पादन – बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन– संचालन और अनुरक्षण" – ₹3214.90 लाख का अधिक व्यय (₹0.10 लाख के पूरक अनुदान की तुलना में) बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को देय राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Thermal Power Generation - Badarpur Thermal Power Station - Operation and Maintenance"- excess of ₹ 3214.90 lakhs (against the supplementary provision of ₹0.10 lakh) was due to requirement of additional funds towards clearance of dues to South Delhi Municipal Corporation for Badarpur Thermal Power Station (BTPS).

(खा) "पारेषण और वितरण – विद्युत प्रणाली का विकास – राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र – पीएसडीएफ से पूरी की जाने वाली विद्युत प्रणाली विकास के लिए स्कीम" – ₹24726.10 लाख का अधिक व्यय (₹57416.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Transmission and Distribution - Development of Power Systems - National Load Despatch Centre - Scheme for Power System Development to be met from PSDF" - excess of ₹24726.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57416.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Power System Development Fund Projects.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	16381.00	1867.00	1867.00	..
पु.	R.	-14514.00			
मुख्य शीर्ष "6552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	9000.00	..	..	..
पु.	R.	- 9000.00			
मुख्य शीर्ष "6801" विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	Major Head "6801" Loans for Power Projects				
मू.	O.	179427.00	36531.00	36531.00	..
पु.	R.	-142896.00			

(I) ₹112081.00 लाख का प्रावधान पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹112080.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹112081.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹112080.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4801" –

(क) "जल विद्युत – अन्य व्यय – समर्थककारी अवसंरचना" – ₹6500.00 लाख;

(ख) "ताप विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम" – ₹6580.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "6801" – "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – सीआर एंड आईएफ से पूरी की गई आईपीडीएस स्कीम को अंतरण" – ₹90000.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "6552" – "विद्युत परियोजनाओं को कर्ज – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹9000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4801" – "सामान्य – अन्य व्यय – विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹1433.00 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष "6801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज"–

(क) "सीपीएसईएस को सहायता" – ₹1896.00 लाख की बचत (₹8427.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) Major Head "4801" -

(a) "Hydel Generation - Other Expenditure-Enabling Infrastructure" - ₹6500.00 lakhs;

(b) "Thermal Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Thermal Power Corporation of India" - ₹6580.00 lakhs; and

(B) Major Head "6801" - "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to IPDS Scheme met from CR&IF" - ₹90000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) Major Head "6552" - "Loans to Power Projects - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Power Finance Corporation- for Integrated Power Development Scheme" - ₹9000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "4801" - "General - Other Expenditure - Strengthening of Power Systems"- saving of ₹1433.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs);

(III) Under Major Head "6801" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Loans to Public Sector and Other Undertakings" -

(a) "Assistance to CPSEs" - saving of ₹1896.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8427.00 lakhs) ;

(ख) "एकीकृत विद्युत स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम"– ₹36000.00 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹9500.00 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹5500.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(b) "Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹36000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹9500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Power Finance Corporation-for Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹5500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.